勞工處

Labour Department

(Hindi version)

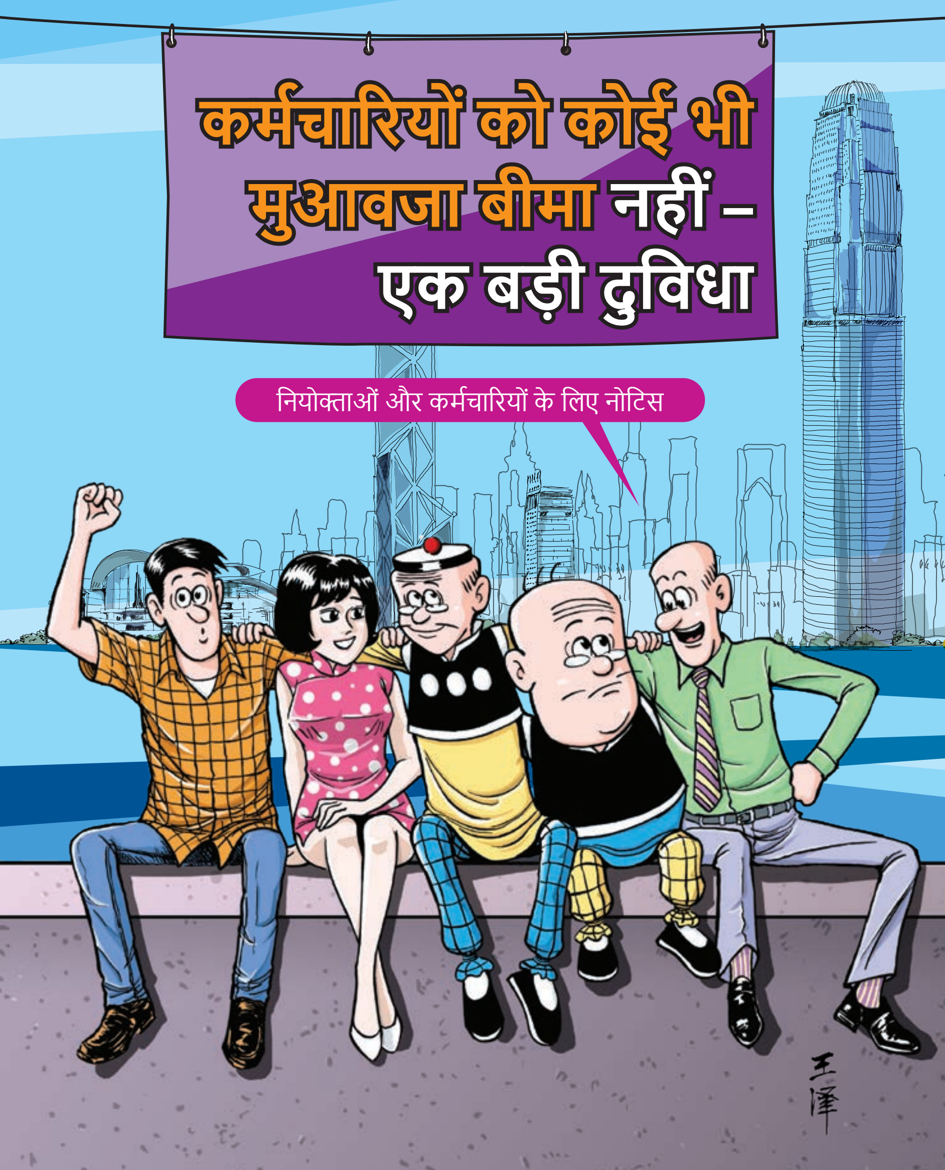

यदि आगे आने वाली मुसीबतों से बचना है तो सारे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों का मुआवजा बीमा (Employees’ Compensation Insurance – ECI) जारी करना होगा

हांगकांग के नियमों के अंतर्गत

सभी नियोक्ता

जब भी

किसी कर्मचारी को काम पर रखते हैं

कर्मचारियों के

- कार्य की प्रकृति
- पूर्णकालीन या अंश कालीन रोजगार
- पक्का या क्षणिक पद
- कार्य करने की अवधि
- कर्मचारी के रोजगार के कॉन्ट्रेक्ट की अवधि

यह सभी के बावजूद

तब उनका **ECI** ज़रूर जारी करें

अधिक जानकारी

कर्मचारियों के मुआवजा विधान (Employees’ Compensation Ordinance – ECO) की धारा 40 के अंतर्गत, हांगकांग कानून के खण्ड 282 के तहत, नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को कोई कार्य में तब तक नहीं रख सकता जब तक नियोक्ता के देय धन को ढकने के लिए ECI की कोई नीति लागू न हो (सामान्य कानून शामिल), रोजगार की अवधि या कार्य के घंटे, पूर्णकालीन या अंश कालीन रोजगार, पक्के या छनिक पद को ध्यान में न लेते हुए।

ECI की सुरक्षा प्राप्त ना करना एक आपराधिक जुर्म है जिससे जुर्माना और कारावास हो सकता है

यदि कोई नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी के लिए ECI सुरक्षा को प्राप्त करने में असफल होता है वह जुर्म करता है और:

नियोक्ता को कर्मचारियों के मुआवजा सहाय कोष बोर्ड में **अर्थदंड** का भुगतान करना होगा

अधिकतम $100,000 का दंड और **दो साल** का कारावास हो सकता है यदि नियोक्ता दोषी निकले

कानून के अंतर्गत यदि कर्मचारी को कार्य पर चोट लगती है या मर जाता है या किसी निर्धारित व्यावसायिक रोग से पीड़ित है तो **कर्मचारियों के मुआवजे के देय धन** को निपटाने के लिए तब भी नियोक्ता ही ज़िम्मेदार है

अधिक जानकारी

जो नियोक्ता ECI सुरक्षा की प्राप्ति करने में ECO के नियमों के अधीन उनका पालन नहीं करता उसे:

- **अधिकतम $100,000 का दंड और दो साल का कारावास हो सकता है यदि उसका जुर्म सिद्ध हो जाये, और वह अभियोग के लिए उत्तरदायी है;**
- **नियोक्ता को कर्मचारी मुआवजा के सहाय विधान की धारा 36A, हांगकांग के कानूनों के अध्याय 365 के तहत कर्मचारी मुआवजा के सहाय कोष बोर्ड में अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; और**
- **कानून के तहत यदि किसी कर्मचारी/कर्मचारिनी को चोट लगती है, या किसी वजह से रोजगार के समय मर जाता/जाती है या किसी ECO के तहत निर्धारित व्यावसायिक रोग से पीड़ित है तो कर्मचारियों के मुआवजे के देय धन को निपटाने के लिए तब भी नियोक्ता ही ज़िम्मेदार है**

झूठी बीमा पालिसी का कभी भी इस्तेमाल न करें यह एक बहुत गंभीर अपराध है

नीचे दिये गये क्रय गंभीर अपराध हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है:

- एक झूठी बीमा पालिसी जिसमें कई बीमा पालिसी का उल्लेख हो जो ECI को दिखाने के उद्देश्य से बनाई हो कि उनके कर्मचारी सुरक्षित हैं
- किसी ओर की बीमा पालिसी की चोरी एवं गलत प्रयोग करना
- बीमा पालिसी में गैरकानूनी तरह से परिवर्तन करना
- कोई झूठी बीमा पालिसी एवं दस्तावेज़ ईजाद करना

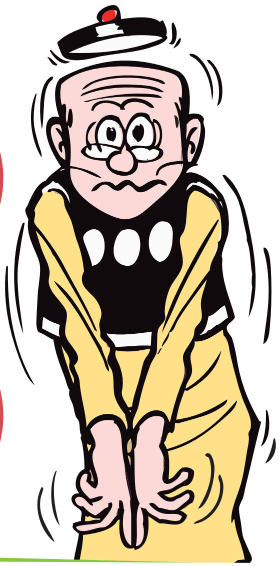

अधिक जानकारी

कोई भी इरादा जिससे कर्मचारियों के लिए ECI को जारी करने के दायित्व से बचना नीचे लिखे विधानों का उल्लंघन होगा

(i) आपराधिक विधान (खण्ड 200):
- ▶ जालसाजी
- ▶ किसी गलत साधन को रखना या उसका उपयोग करना (अधिकतम दंड 14 साल का कारावास है यदि कोई जालसाजी एवं गलत साधन को रखे या उनका उपयोग करें)

(ii) चोरी विधान (खण्ड 210):
- ▶ धोखाधड़ी (धोखाधड़ी के अपराध के लिए अधिकतम सजा 14 साल का कारावास है)

इनके उपरांत, यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी/कर्मचारिनी के लिए ECI जारी करने में निष्फल होता है, तो वह ECO के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। अधिकतम सजा $ 100,000 का जुर्माना और दो साल का कारावास है।

श्रम विभाग नियोक्ताओं के कानून के साथ पालन करने के लिये कठोर कदम उठाता है

श्रम विभाग के कर्मचारी

- कार्य करने के स्थान का पूर्ण निरीक्षण करते हैं

- नियोक्ताओं से लिखित में विनती करें कि वह निरीक्षण के लिए ECI नीतियों और संबंधित दस्तावेजों को ईजाद करें
- बीमा कंपनियों से ECI नीतियों के बारे में पूछताछ करें

प्रचलन विषय 1

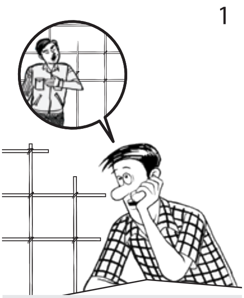

पाड कार्य की जगह के निरीक्षण के बाद, श्रम विभाग के कर्मचारियों ने एक नकली ECI नीति के एक संदिग्ध मुद्दे को पकड़ा।

श्रम विभाग ने अन्य जांच के मामले को पुलिस के हवाले किया।

अंतः एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उस पर ग़लत साधनों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा और उसे 120 घंटे की सामुदायिक सेवा करने का दंड प्रदान किया गया।

प्रचलन विषय 2

किसी एक कर्मचारी को कार्य करते वक़्त पर दुर्घटना के कारण चोट लग गई।

जांच के उपरांत, श्रम विभाग ने पता लगाया कि उस घायल कर्मचारी के नियोक्ता ने कर्मचारी के लिए ECI नहीं निकलवाई है जो कि सांविधिक आवश्यक थी। इसके परिणामस्वरूप श्रम विभाग ने नियोक्ता के ऊपर मुकदमा चलाया।

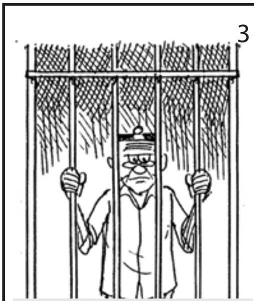

ECO के तहत कर्मचारी के लिए ECI निकालने में विफल रहने पर नियोक्ता को छह महीने के तत्काल कारावास की सजा सुनाई गई थी

* उपरोक्त वास्तविक मामलों से लिया गया है और केवल संदर्भ के लिए है

प्रचलन विषय 3

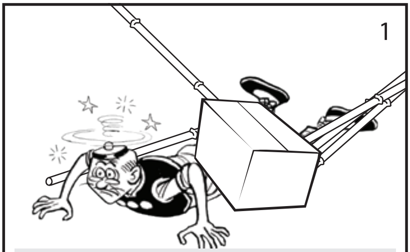

एक मरम्मत कर्मी कार्य करते समय ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसे काफी चोट लगी।

श्रम विभाग ने जांच की और पता लगाया कि उस कर्मचारी के नियोक्ता ने ECO की नितिओं के अधीन उस कर्मचारी के लिए ECI नहीं निकला थी।

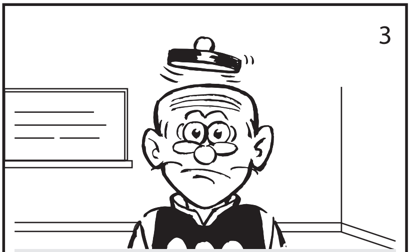

नियोक्ता उसे समय-समय पर पैसे देने में भी चूक गया जो कि कानूनी आवश्यकता था।

नियोक्ता पर मुकदमा चलाने के बाद उसे दो माह का कारावास और 18 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया और इसके साथ उससे $42,000 का दंड भी वसूला गया।

* उपरोक्त वास्तविक मामलों से लिया गया है और केवल संदर्भ के लिए है।

"कर्मचारी" और "स्वे-नियुक्त व्यक्तिओं" का अंतर करना क्योंकि गलत पद प्रदान करने से परेशानी होने के आसार हैं।

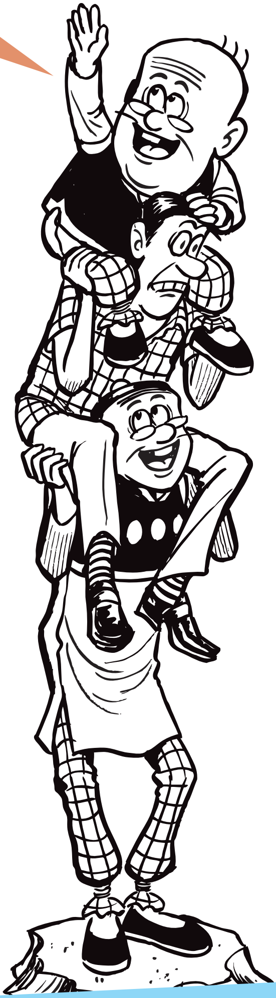

ECI केवल कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है

ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्तिओं को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी की सुरक्षा स्वयं लेने पर विचार करना चाहिए

एक कर्मचारी जिसे संदेह है कि उसके **नियोक्ता ने ECI नहीं जारी की है या उसके खुद के पास कोई कानूनी ECI पालिसी नहीं है**

- कर्मचारी नियोक्ता से ECI के विषय में जानकारी पूछ सकता है
- जितनी जल्दी हो सके श्रम विभाग को शिकायत करें

शिकायत हॉटलाइन: 2815 2200

अधिक जानकारी

कर्मचारी, ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्ति के बीच फर्क बताने के लिए, सभी कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। यह कुछ सामान्य कारण हैं:

- कार्य की प्रक्रियाओं, काम के समय और प्रणाली के ऊपर काबू रखना
- काम की सामग्री, उपकरण और सामान की मालकियत और प्रावधान
- क्या व्यक्ति व्यापार अपने खाते से कर रहा है निवेश और प्रबंधित जिम्मेदारियों के साथ।
- क्या व्यक्ति को अच्छी तरह से नियोक्ता के संगठन का अंश माना जाता है
- क्या व्यक्ति को काम में हाथ बढ़ाने के लिए सहायकों को नियुक्त करने की अनुमति है
- व्यवसाय के ऊपर वित्तीय खतरों को संभालना (जैसे की किसी लाभ या हानि होने की संभावना)
- बीमा और टैक्स की जवाबदेही
- संबंधित धंधा या पेशे की पुरातन बनावट और कार्यप्रणाली
- न्यायालय जिसे योग्य मानता है वह अन्य कारण

किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति को ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्ति के रूप में बदलने से पहले उसके ऊपर ध्यान से विचार करना चाहिए और रोजगार के अधिकारों और लाभों के साथ-साथ इसमें शामिल हानि मालूम करना चाहिए, जो इस बदलाव के कारण वह कर्मचारी खो सकते हैं।

संक्षेप में यदि कोई एक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद है, भले ही उस व्यक्ति को ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्ति कहा जाता है, नियोक्ता को फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को कानून के अंतर्गत पूर्ण रूप से उस कर्मचारी को सभी लाभ वापस भुगतान करने होंगे जिस पर स्वे-नियुक्त कर्मचारी का झूठा नाम थोपा गया है। इसके साथ, नियोक्ता उपर्युक्त कानून के तहत आपराधिक रूप से जवाबदेही भी हो सकता है।

क्योंकि हर मुद्दे में असली हालात अलग होते हैं, आखिरी व्याख्या भी कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है यदि कोई विवाद हो जाये।

ECI का सक्षम कवरेज जोखिम को उठाने के लिए लीजिये

ECI पालिसी

एक लिखित इकरारनामा है जो नियोक्ताऔर एक बीमा कंपनी के बीच किया जाता है

ECI का उद्देश्य

कार्य से संबंधित चोटों और मृतकों के लिए कर्मचारियों के मुआवजा प्रदान करना और नियोक्ताओं के जोखिम को सहन करना है।

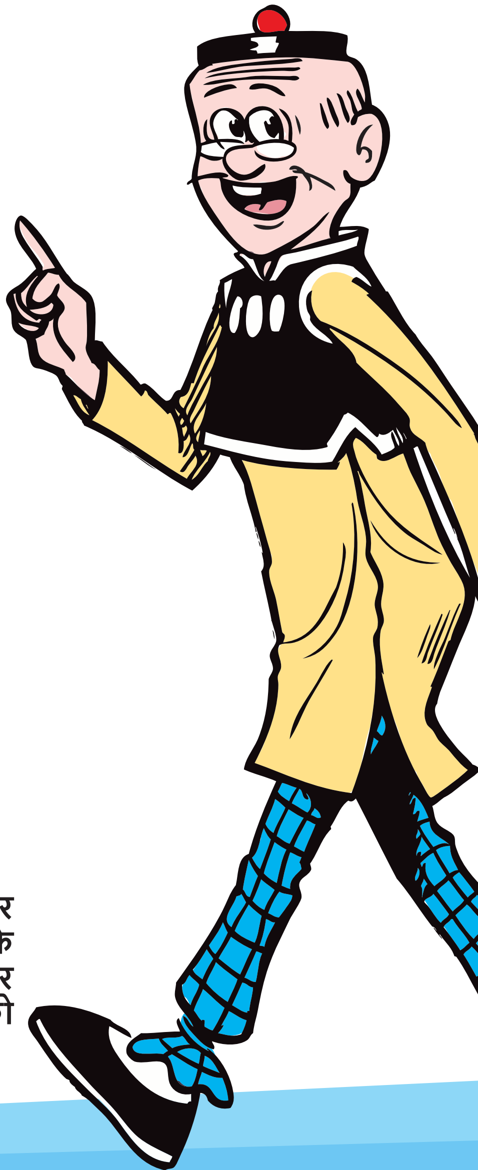

अधिक जानकारी

नियोक्ता के द्वारा लिया हुआ ECI कवर

	कर्मचारियों की संख्या जिनके संबंध में नीति चल रही है	प्रति घटना के बीमा कवर के पैसे
ECI कवर एक नियोक्ता के द्वारा निकाला जाना	200 से ज़्यादा नहीं	$100 मिलियन से कम नहीं
	200 से ज़्यादा	$200 मिलियन से कम नहीं

प्रमुख ठेकेदार के द्वारा ली हुई ECI कवर

- जहाँ एक प्रमुख ठेकेदार ने किसी निर्माण-कार्य करने का काम लिया है, वह व्यक्ति एक बीमा पालिसी जिसकी कीमत $200 मिलियन प्रति घटना से कम नहीं है जो उसकी और उसके उप-ठेकेदारों की देयता को कानून के तहत (सामान्य कानून शामिल) कवर करेगा।
- कार्यों का प्रमुख ठेकेदार और उसके/उनके उप-ठेकेदारों को अपनी दायित्व को लिखित रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

ECI के बारे में गलत जानकारी देने पर भारी मुआवजा देना पड़ सकता है

नियोक्ताओं के लिए जानकारी

- काम आरम्भ करवाने से पहले अपने **कर्मचारियों की ECI जारी करवाएँ**
- **ECI की प्रक्रिया किसी अधिकृत बीमा कंपनी या लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ के माध्यम से ही करवाएँ**

याद रखें कि ECI निकलवाते समय बीमा कम्पनी को ठीक जानकारी दें

पालिसी की वैधता अवधि के दौरान रोजगार की शर्तें

- उदाहरण. कर्मचारियों की कुल संख्या, असली कमाई, व्यवसायों और बाकी ज़रूरी उल्लेख

दस्तावेज प्रमाण

- उदाहरण. कर्मचारियों की पगार के रिकार्ड/उचित निधि के योगदान का विवरण/ कर विवरणी और लिखे का रिकार्ड

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा पालिसी कानूनों के तहत नियोक्ता की देयता को पूरी तरह से कवर कर सकती है

* यदि नियोक्ताओं के पास कोई व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुधार के उपाय हैं, तो उनको उन उपायों को बीमा कंपनियों को बताना चाहिए क्योंकि इनसे उन कंपनियों के मूल्यांकन के संबंधित और हामीदारी का विचार करने में सहायता मिल सकती है।

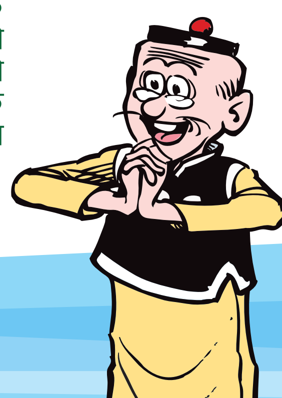

ECI को निकालने के समय और उसकी अवधि के दौरान, या बीमा पालिसी के अंत या खत्म होने के समय, नियोक्ता को

- **आवश्यक जानकारी** की सूचना बीमा कंपनी को करें; तथा
- बीमा पालिसी के खत्म होने की तिथि का ध्यान रखें और एक बार समाप्ति हो जाने के ऊपर **आवश्यक कदम उठाए ताकि नुकसान और कानून के उल्लंघन से बचाव हो सके।**

अधिक जानकारी

- ECI पालिसी एक लिखित इकरारनामा है जो एक नियोक्ता और बीमा कंपनी के बीच किया जाता है। ECI का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य से संबंधित चोटों और मृतकों के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं के जोखिम को बाँटना है।.

- बीमा कंपनियों और बाकी लाइसेंस पूर्णकों के रजिस्टरों को बीमा प्रदान की वेबसाइट से देखा जा सकता है।

- ECI को निकालते हुए, नियोक्ता को:
  - ✓ ध्यान से बीमा पालिसी की सारी जानकारी की अच्छी तरह से जांच करें, और यह भी जाँचे यदि प्रस्ताव फार्म सही जानकारी दे रहा है और पालिसी के मालिक के हस्ताक्षर को भी जाँचे; तथा
  - ✓ बीमा पालिसी की सारी जानकारी को इसके कवरेज को समझने के लिए अच्छी तरह से पढ़ें।
- यदि कोई भी बड़ा बदलाव रोजगार की स्थिति में हो (जैसे कि कर्मचारियों की संख्या, असली पगार, कार्य स्थल, व्यवसाय या पदों की जानकारी), तो नियोक्ता को जल्द से जल्द बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए।
- यदि नियोक्ता अनिश्चित है कि यदि किसी विशेष जानकारी का उल्लेख करना है, या ECI की नीति की शर्तों को लेकर कोई प्रश्न हैं, जैसे कुछ जानकारी/दस्तावेज जो बीमा कंपनी (या बीमा मध्यस्थ) को ECI पालिसी लेने/या उसके नवीनीकरण के लिए जाना चाहिए।
- ECI पालिसी लेने या उसके नवीनीकरण के समय यदि कोई नियोक्ता सही जानकारी के विवरण के साथ भौतिक तथ्यों की रिपोर्ट देने में निष्फल रहता है, तो यह कार्य नियोक्ता को बीमा कर्ता द्वारा कोई भी दावे की क्षतिपूर्ति के लिए पहले दिए गए पैसे को वापिस लेने के लिए बीमा कर्ता द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए किसी भी नीति के तहत खतरा पेश कर सकता है।

ECI के प्रीमियम छूट (डिस्काउंट) का आनंद लेने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health - OSH) उपायों को लागू करें

OSH के प्रगति उपायों को नियोक्ता लागू कर सकते हैं

सभी कर्मचारियों को उपकरण और सुविधाएं देने के साथ-साथ **उनका उचित तरीके से इस्तेमाल** भी सुनिश्चित की जिए

उचित **संभाल को सुनिश्चित करें**

एक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना और उसे लागू करना, जैसे कार्य की जगह पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारणों को रोकने के लिए **सुधार उपायों को ईजाद करना**

कर्मचारियों को कार्य सुरक्षा संबंधित **सूचना, निर्देश, ट्रेनिंग और ज़िम्मेदारी प्रदान करें।**

सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने वाले पर्याप्त उपकरण और संबंधित सुविधाओं की प्राप्ति करें

बीमा कंपनियां प्रीमियम के ऊपर विशेष ऑफर देने के बारे में सोच सकती हैं!

अधिक जानकारी

OSH स्टार एंटरप्राइजे - मरम्मत, संभाल, बदलाव और इज़ाफ़े (RMAA) की सुरक्षा आधिकारिक योजना (OSH Star Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration and Addition (RMAA) Safety Accreditation Scheme)

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति (Occupational Safety and Health Council - OSHC) ने श्रम विभाग के सहकार से "OSH स्टार एंटरप्राइजेज – RMAA सुरक्षा आधिकारिक योजना" जो बीमा क्षेत्र को सुरक्षा के प्रति जागरूक RMAA मालिकों/ठेकेदारों की पहचान करने में मदद करने के लिए शुरू की है ताकि कर्मचारी मुआवजा बीमा अविशिष्ट योजना के तहत ECI प्राप्त करते समय योग्य उद्यमों को अनुकूल प्रीमियम दर प्रदान करने पर विचार किया जा सके । प्रीमियम का डिस्काउंट 50% भी हो सकती है।

OSH स्टार रीसाइक्लिंग एंटरप्राइजे - पुनरावर्तन उद्योग सुरक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन की योजना (OSH Star Recycling Enterprise - Recycling Industry Safety and Health Enhancement Scheme)

OSHC ने "OSH स्टार रीसाइक्लिंग एंटरप्राइजे - पुनरावर्तन उद्योग सुरक्षा और स्वास्थ्य बढ़ाव की योजना" की शुरूआत की है ताकि उद्योग में पुनरावर्तन कार्य सुरक्षा स्टैंडर्ड और स्तर विकास को आगे ले जाने के लिए। यह परावर्तन कोष से ECI प्रीमियम की छूट (2 वर्ष तक) उन नियोक्ताओं को देता है जिन्होंने इस योजना के माध्यम से OSH स्टार प्राप्त किया है। यह छूट सालाना ECI प्रीमियम के अधीन 60% तक भी हो सकता है, जो प्रत्येक साल $70,000 की सीमा के अधीनहै।

नियोक्ता OSHC को संपर्क कर सकते हैं (फोन: 2739 9377/ईमेल: oshc@oshc.org.hk) यदि वे इन योजनाओं में शामिल होना चाहें तो।

यदि ECI निकालने में कोई कठिनाई आ जाये तो क्या करना चाहिए?

हांगकांग में बीमा उद्योग ने कर्मचारी मुआवजा अवशिष्ट बीमा योजना को एक अंतिम उपाय के अवसर में उन नियोक्ताओं के सहाय रखा है, जिसे ECI निकालने में कोई परेशानी प्रकट होती है।

नियोक्ता ECI हासिल कर रहे हैं इसको सुनिश्चित करना

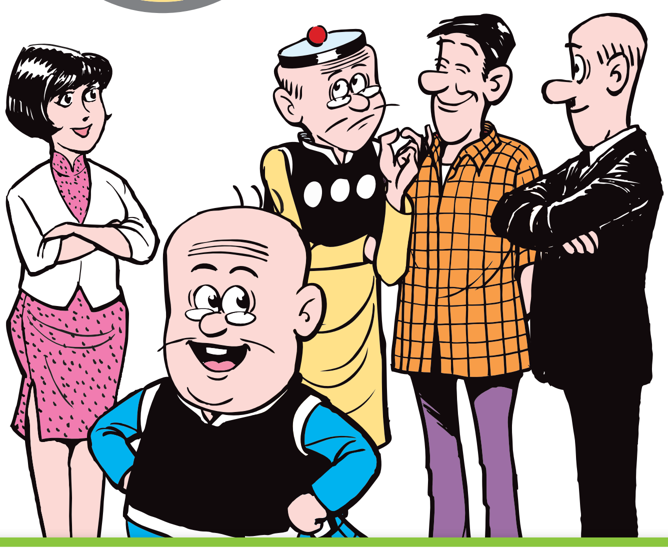

अधिक जानकारी

ECI निकालने में यदि किसी नियोक्ता को परेशानी आ रही हो तो, वह कर्मचारी मुआवजा अवशिष्ट बीमा योजना के अधीन (फोन 2591 9316/ ईमेल: administrator@ecirsb.com.hk) संपर्क करें।

सीखें बीमा पालिसी की जांच करने का तरीका और ECI के बारे में होशियार रहें

ECI नीति की जांच करते वक़्त, पक्का करें कि सारे कर्मचारी पालिसी से कवर हों और नीचे दिए गए आधारों पर ध्यान दीजिये

- नीति के प्रकार को ECI के द्वारा बताए गए नीति के प्रकार होना चाहिए
- बीमा देने वाली कम्पनी का नाम
- बीमा पालिसी की उचित अवधि
- कार्य का स्वभाव और/या कारोबार
- कार्य क्षेत्र/स्थान जो कवर हों (यदि लागू हो तो)
- कर्मचारियों की असली कमाई
- बीमित कर्मचारियों की संख्या
- शामिल कारोबार
- प्रतिरोध
- वारंटी

XX बीमा कम्पनी लिमिटेड़
सूचीपत्र

पालिसी नंबर.	: CBDDAS/18/1
तारीक	: 15 जनवरी 2021
बीमे का प्रकार	: कर्मचारियों के मुआवजे का बीमा
बिमित व्यक्ति का नाम	**: XX बीमा कंपनी लिमिटेड़**
बीमे की अवधि	: 1 फ़रवरी 2021 से 31 जनवरी 2022
कारोबार	: ट्रेडिंग
रोज़गार का स्थान	: 1) **21/F, ECI बिल्डिंग, हांगकांग** 2) होंगकोंग के भीतर कहीं भी
जवाबदेही की हद	: HK$100 मिलियन किसी एक दावे या एक घटना से उठने वाले कई और दावों के संबंध में

बीमित कर्मचारी

: कर्मचारियों का विवरण	कर्मचायों की संख्या	पगार सूची
बीमित कर्मचारी	2	HK$967,200.00
प्रबंधक	2	HK$561,600.00
सहायक	1	HK$249,600.00
कारोबार का भागीदार (न-मैन्युअल कार्य)	1	HK$400,000.00

शर्त एवं वारंटी

1) असाधारण मौसमी खंड़
2) खाने और दोपहर के खाने का समय खंड़

उनके लिए और उनकी तरफ से
XX बीमा कंपनी लिमिटेड़

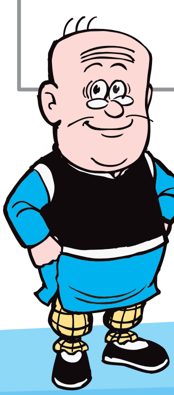

* ECI नीति का सूचीपत्र सिर्फ संदर्भ लेने के लिए ही है कोई भी समानता पूरी तरह से महज़ एक संयोग होगी।

अधिक जानकारी

- नियोक्ताओं को बीमा पालिसियों द्वारा सहन करे जाने वाली कवरेज एवं सुरक्षा के दायरे के संबंधित पूर्ण ध्यान देना चाहिए, इसके इलावा वह शर्तें जो बीमा कंपनियों के द्वारा संलग्न की जा सकती हैं उनपर भी ध्यान देना चाहिए;

- कृपया अपनी बीमा कंपनी (या माध्यमिक बीमा कर्ता) से सीधे संपर्क करें ताकि कोई भी ECI पालिसियों या पालिसी शर्तों को निकालने के बारे में पूछताछ करनी हो वह सम्पूर्ण हो सके;

- यदि वे संरचना कार्यों से संबंधित है,
  - ✓ बीमा की गई पालिसी के ऊपर बीमे वाली कंपनी का वही नाम होना चाहिए जो वह काम कर रही है (अगर नहीं, तो उन दोनों कंपनियों में क्या संबंध है और क्या इन कम्पनी के कर्मचारियों के प्रवति में शामिल हैं);
  - ✓ कार्य करने का समय बीमा पालिसी की अवधि के अंतर्गत आनी चाहिए; तथा
  - ✓ अधिकारियों/संपत्ति का इंतज़ाम करने वाली कंपनियों को ईसीआई (ECI) नीतियों वाले ठेकेदारों और कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। कार्य आरम्भ होने से पहले, अधिकारी/संपत्ति का इंतज़ाम करने वाली कंपनियां ठेकेदारों/कंपनियों से अनुरोध कर सकते है कि वह वैध ईसीआई (ECI) और तीसरे पक्ष की बीमा पालिसियों को ईजाद करे ताकि दुर्घटना के समय सहन करने वाली मुआवजे की राशि को कम कर सकें।

कर्मचारियों के मुआवजे (Employees' Compensation - EC) के विवादों को मुकदमे या दलाली से निपटारा करें?

श्रम विभाग ECO उन पीड़ित कर्मचारियों की सहायता करता है जो मुआवजा प्राप्ति के लिए कार्य के दौरान लगे चोट या निर्धारित व्यावसायिक बीमारियों से पीड़ित हैं

विवाद के मामले में

श्रम विभाग नियोक्ता और कर्मचारी के EC के विवादों को सुलझाने में सहायता कर सकता है

यदि नियोक्ता और कर्मचारी कोई भी समझौते पर नहीं पहुंचते, तो मामले का निवारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अधिक जानकारी

EC विवादों को सुलझने में वक़्त लगता है, जैसे उपयुक्त जानकारी और चिकित्सक रिपोर्ट का संग्रह करना, आदि. यह सब निजी मामले के हालातों के आधार पर होता है। ECO श्रम विभाग को EC मामले या इससे उठे/उससे संबंधित मुद्दों पर अहम निर्णय लेने के श्रेष्ठ नहीं बनाता है। यदि नियोक्ता और कर्मचारी श्रम विभाग द्वारा की गई मदद से किसी भी समझौते करार पर नहीं पहुंचते, तो EC का विवाद न्यायालय द्वारा सुलझाया जाएगा।

ECO प्रक्रियाओं का आरंभ करने के उपरांत, यदि नियोक्ता और कर्मचारी विवाद पर अलग समझौते को स्वीकार करना चाहते हैं तो EC विवादों के समाधान के लिए, और वह वक़्त और कानूनी खर्चे से बचाव के लिए मध्यस्थता का प्रयास कर सकते हैं, जिससे न्यायालय प्रक्रियाओं से पैदा होने वाले विवाद और मुकदमे के रिस्क से बचाव हो सकता है। किसी भी विवाद के ऊपर निर्णय के उपरांत, अनुभवी मध्यस्थता पक्षों को विवाद में मुद्दों की पहचान करने, विकल्प ढूंढने, एक दूसरे के साथ बात करके विवाद समाधान के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने में सहायता करेंगे। इसके साथ, मध्यस्थता एक गुप्त प्रक्रिया है तो जब तक कि सहमति या कानून द्वारा जरूरी न हो दलाली सत्र में ज़ारी सारी जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ तब तक सांझी नहीं की जाएगी।

मध्यस्थता के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया न्याय विभाग की वेबसाइट के "कानून और विवादित समझौते की सेवाएं" वेबपेज पर पता करें: (www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html)

पूछताछ /रिपोर्ट

कृपया अपनी बीमा कंपनियों (या बीमा बिचोलियों) से सीधे ECI पालिसी या पालिसी शर्तों को निकालने के बारे में पूछताछ करें। इस पत्रिका की सामग्री के बारे में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए, कृपया नीचे दिए संबंधित विभाग/संगठनों से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

श्रम विभाग (Labour Department)
वेबसाइट: www.labour.gov.hk
पूछताछ हॉटलाइन: 2717 1771 ("1823" द्वारा जाती है)

ECI की वैधानिक जरूरतों पर नियोक्ताओं के गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए शिकायत हॉटलाइन है: 2815 2200

असुरक्षित अभ्यास* की रिपोर्ट करने के लिए OSH शिकायत हॉटलाइन है: 2542 2172

बीमा अधिकारी (Insurance Authority)
वेबसाइट: www.ia.org.hk
फ़ोन: 3899 9983

बीमा कंपनियों का हांगकांग महासंघ (The Hong Kong Federation of Insurers)
वेबसाइट: www.hkfi.org.hk
फ़ोन: 2520 1868

कर्मचारी मुआवजा बीमा अवशिष्ट योजना ब्यूरो लिमिटेड (The Employees’ Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited)
वेबसाइट: www.ecirsb.com.hk
फ़ोन: 2591 9316

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति (Occupational Safety and Health Council)
वेबसाइट: www.oshc.org.hk
फ़ोन: 2739 9377

ECI को जारी करने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया "कर्मचारी मुआवजा बीमा निकालने के बारे में अधिक जानकारी" पत्रिका पर बीमा अधिकारी और श्रम विभागके द्वारा सह-निर्मित पर देखें।

* जनता भी OSH शिकायत फार्म भरकर असुरक्षित OSH अभ्यासों की रिपोर्ट श्रम विभागकी वेबसाइट या GovHK (https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/) पर कर सकती है।

इस पत्रिका की जानकारी छपाई के वक़्त वैध है

©2021 श्रम विभाग, HKSAR सरकार
Old Master Q की तस्वीरें ©2021 OMQ ZMEDIA LTD.

जून 2021

(Hindi version)